

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017

जयपुर, दिनांक: 31/07/2017

**आवंटन आदेश माह सितम्बर, 2017 तक  
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)**

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली के द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1-8/2013-बी.पी.-III दिनांक 26.09.2013 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु माह सितम्बर, 2017 तक हेतु गेहू का जिलेवार उप आवंटन संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार किया जाता है।

संभागीय जिला मुख्यालय हेतु आवंटित मात्रा का संबंधित जिला रसद अधिकारी (शहर) एवं जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण) समन्वय स्थापित कर जिला कलक्टर की अनुशंसा के आधार पर उठाव एवं वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस विभाग द्वारा गेहू उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार माह सितम्बर, 2017 तक का उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा गेहू का आवंटन उचित मूल्य दुकानवार किया जा रहा है। अतः समर्पित गेहू की मात्रा का विवरण जिलेवार ना भिजवाकर उचित मूल्य दुकानवार भिजवावे, ताकि समर्पित मात्रा का उचित मूल्य दुकानवार समायोजन कर आगामी माह में समायोजित किया जा सके। साथ ही समर्पित मात्रा की प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर एवं तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

**संलग्न:- उपरोक्तानुसार**

31/07/2017

31.07.2017

(आकाश तोमर)

उपायुक्त (द्वितीय)

**प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त, जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
7. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टॉक रोड जयपुर।
8. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर।
9. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह सितम्बर, 2017 तक हेतु आवंटित गेहू की मात्रा की निर्धारित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित करावे। गेहू उठाव की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात बिना किसी ठोस वजह के गेहू उठाव एवं राशि जमा कराने की वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।
10. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग इस आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त (द्वितीय)

खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित ) हेतु जिलेवार  
आवंटन माह सितम्बर, 2017

मात्रा मेट्रिक टन में		
क्र. सं.	नाम जिला	प्रतिमाह आवंटित मात्रा
1	2	3
1	अजमेर	5702
2	अलवर	9696
3	बांसवाडा	7055
4	बारां	3751
5	बाडमेर	7376
6	भरतपुर	5691
7	भीलवाडा	5905
8	बीकानेर	5102
9	बूंदी	2481
10	चित्तौड़गढ़	4161
11	चूरु	5418
12	दौसा	4282
13	धौलपुर	3100
14	झुंजरपुर	5490
15	श्रीगंगानगर	4293
16	हनुमानगढ़	3745
17	जयपुर	10498
18	जैसलमेर	1655
19	जालोर	4797
20	झालावाड	4183
21	झुन्झुनू	3690
22	जोधपुर	8470
23	करौली	3763
24	कोटा	4037
25	नागौर	8033
26	पाली	5115
27	प्रतापगढ़	2876
28	राजसमन्द	3212
29	स.माधोपुर	3401
30	सीकर	6385
31	सिरोही	3349
32	टोंक	3548
33	उदयपुर	10551
योग		170811

६/११

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017

जयपुर, दिनांक: 31/07/17

**आवंटन आदेश माह सितम्बर, 2017 तक  
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)**

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली के द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1-8/2013-बी.पी.-III दिनांक 26.09.2013 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु माह सितम्बर, 2017 तक हेतु गेहूँ का जिलेवार उप आवंटन संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार किया जाता है।

संभागीय जिला मुख्यालय हेतु आवंटित मात्रा का संबंधित जिला रसद अधिकारी (शहर) एवं जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण) समन्वय स्थापित कर जिला कलक्टर की अनुशंसा के आधार पर उठाव एवं वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस विभाग द्वारा गेहूँ उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार माह सितम्बर, 2017 तक का उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा गेहूँ का आवंटन उचित मूल्य दुकानवार किया जा रहा है। अतः समर्पित गेहूँ की मात्रा का विवरण जिलेवार ना भिजवाकर उचित मूल्य दुकानवार भिजवावें, ताकि समर्पित मात्रा का उचित मूल्य दुकानवार समायोजन कर आगामी माह में समायोजित किया जा सके। साथ ही समर्पित मात्रा की प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर एवं तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

— sd —  
(आकाश तोमर)  
उपायुक्त (द्वितीय)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त, जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
7. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टोंक रोड जयपुर।
8. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर।
9. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह सितम्बर, 2017 तक हेतु आवंटित गेहूँ की मात्रा की निर्धारित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित करावें। गेहूँ उठाव की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात बिना किसी ठोस वजह के गेहूँ उठाव एवं राशि जमा कराने की वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।
10. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
11. रक्षा पत्रिका।

31/07/2017

उपायुक्त (द्वितीय)